फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्याः– 37/2021 शीर्षकः– हिरालाल बनाम चांदी

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
08.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद बाबत् विभाजन एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आमेट, पटवार हल्का आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमंद में कृषि आराजीयात स्थित है, जिसके खाता सं. नया 1385 व पुराना 1173 आराजी नं. 902 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नं. 903 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नं. 904 रकबा 3.1100 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 3.3900 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 से 8 प्रत्येक का 1/40 हिससा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादी के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिससे पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है एवं वादी ने अपने हिस्से की जमीन पर लाखो रूपये व्यय कर भूमि को उपजाऊ बनाया है एवं वादी वादी अपने हिस्से की भूमियों पर कब्जा काश्त कर रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहा है। भूमियों का सही ढंग से विकास भी नही हो पा रहा है। प्रतिवादीगण जानबुझ कर वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करते है। उक्त भूमि में वादी का जो भी हक, हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है का मिट्स एवं बाउण्ड्स के अनुसार नियमानुसार विभाजन कराया जाना एवं अलग अलग विभाजन अनुसार खाते अंकित कराया जाना नितानत आवश्यक हो गया है। जिसके लिए यह वाद पेश है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त भूमि में वादी का जो भी हक, हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है का मिट्स एवं बाउण्ड्स के अनुसार नियमानुसार विभाजन करवाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि पृथक पृथक खाते दर्ज की जावे एवं मौके पर विभाजन कर वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अलग से खातेदारी अंकित की जावे एवं विभाजन अनुसार पृथक से लगान कायम कराया जावे। वादी के हिस्से में जो भूमि आवे, उसके संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे, न ही यह कार्य किसी नौकर, एजेन्ट, परिवार के सदस्या	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

या किसी से भी करावे। अतः माफिक वाद पत्र अनुसार प्रारम्भिक डिक्री के आदेश प्रदान किये जावें।

दिनांक 15.05.2024 को न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार आमेट द्वारा पक्षकारन के मध्य राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल अजमेर) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारन के मध्य हुए समझौते अनुसार विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाईल किया गया। कुर्रेजाज प्रस्ताव पर वादी हीरालाल एवं प्रतिवादी संख्या 03 भगवानलाल ने हस्ताक्षर किये। भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल अजमेर) नियम, 1955 के नियमों की पालना करते हुए विभाजन किया हैं जो मेरी राय में उचित हैं। वादी अधिवक्ता की बहस का मनन करने, दस्तावेजात, प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से जाहिर हैं कि कुर्रेजात प्रस्ताव में पक्षकारन के जमाबन्दी में हिस्से के अनुरूप भूमि आवंटित की गई हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण को यथासंभव काम्पेक्ट व एकल भू–भाग आवंटित किया गया हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण को आवंटित भू–भाग पर पहुँचने हेतु रास्ता भी प्रदान किया गया हैं। अतः अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व ग्राम आमेट, पटवार हल्का आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमंद के खाता सं. नया 1385 पुराना 1173 आराजी नं. 902 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नं. 903 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नं. 904 रकबा 3.1100 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 3.3900 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारन के मध्य निम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती हैं।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
हीरालाल पुत्र खेमा धोबी सा. सेलागुढा	902 903 904/1	0.1700 0.1100 1.3762
योग	**03**	**1.6562**
चांदी पुत्री हाथी 1/5 धापु पुत्री हाथी 1/5 भगवान लाल पुत्र हाथी 1/5 मुकेश पुत्र पोखर 1/20 मुली पुत्री हाथी 1/5 रामेश्वर पुत्र पोखर 1/20 लक्ष्मी पुत्री पोखर 1/20 वेणी राम पुत्र पोखर 1/20 जाति धोबी सा. सेलागुढा	904/3	1.6563
योग	**01**	**1.6563**
चांदी पुत्री हाथी 1/10 धापु पुत्री हाथी 1/10 भगवान लाल पुत्र हाथी 1/10 मुकेश पुत्र पोखर 1/40 मुली पुत्री हाथी 1/10	904/2	0.0775

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

रामेश्वर पुत्र पोखर 1/40 लक्ष्मी पुत्री पोखर 1/40 वेणी राम पुत्र पोखर 1/40 हीरालाल पुत्र खेमा 1/2 जाति धोबी सा. सेलागुढा		
योग	**01**	**0.0775**

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक–पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव के तहसीलदार आमेट को लिखा जावें। डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर आमेट
जिला राजसमन्द

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट

जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 37 / 2021

किस्म :– वाद

दायर दिनांक : 14.07.2021 **निर्णय दिनांक** : 08.01.2025

उनवान

वादीपक्ष :–

1–हीरालाल पुत्र खेमा जाति धोबी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

–:बनाम:–

प्रतिवादी पक्ष :–

1. चांदी पुत्री हाथी जाति धोबी
2. धापु पुत्री हाथी जाति धोबी
3. भगवानलाल पुत्र हाथी जाति धोबी
4. मुली पुत्री हाथी जाति धोबी
5. मुकेश पिता पोखर जाति धोबी
6. रामेश्वर पुत्र पोखर जाति धोबी
7. लक्ष्मी पुत्री पोखर जाति धोबी
8. वेणीराम पुत्र पोखर जाति धोबी

सभी निवासीयान सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमंद

दावा :– वाद विभाजन अन्तर्गत धारा 53,188 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर से :– **अधिवक्ता धर्मेश शर्मा**

प्रतिवादी सं. 01 से 08 :– **स्वयं उपस्थित**

मे इस आशय में दिनांक 08.01.2025 **की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 का स्वीकार किया जाता है एवं पक्षकारान् के मध्य राजस्व ग्राम आमेट, पटवार हल्का आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमंद के खाता सं. नया 1385 पुराना 1173 आराजी नं. 902 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नं. 903 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नं. 904 रकबा 3.1100 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 3.3900 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
हीरालाल पुत्र खेमा धोबी सा. सेलागुढा	902 903 904/1	0.1700 0.1100 1.3762
योग	**03**	**1.6562**
चांदी पुत्री हाथी 1 / 5 धापु पुत्री हाथी 1 / 5 भगवान लाल पुत्र हाथी 1 / 5 मुकेश पुत्र पोखर 1 / 20 मुली पुत्री हाथी 1 / 5	904/3	1.6563

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

रामेश्वर पुत्र पोखर 1/20 लक्ष्मी पुत्री पोखर 1/20 वेणी राम पुत्र पोखर 1/20 जाति धोबी सा. सेलागुढा		
योग	**01**	**1.6563**
चांदी पुत्री हाथी 1/10 धापु पुत्री हाथी 1/10 भगवान लाल पुत्र हाथी 1/10 मुकेश पुत्र पोखर 1/40 मुली पुत्री हाथी 1/10 रामेश्वर पुत्र पोखर 1/40 लक्ष्मी पुत्री पोखर 1/40 वेणी राम पुत्र पोखर 1/40 हीरालाल पुत्र खेमा 1/2 जाति धोबी सा. सेलागुढा	904/2	0.0775
योग	**01**	**0.0775**

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक–पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव के तहसीलदार आमेट को लिखा जावें।

आज दिनांक को 08.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट